निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1931 (श0)

(सं0 पटना 32) पटना, शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2010

सं0 एल0जी0–1–20/2009/लेजः 08—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 5 जनवरी, 2010 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता हैः–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 4, 2010)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

प्रस्तावनाः—चूँकि, बिहार राज्य में स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों, रैयती भूमि के गैर—कानूनी दखल तथा सार्वजनिक भूमि के आंवटियों की जबरन बेदखली से समस्याएँ उद्भूत होती हैं और इससे सही आवंटी/बंदोबस्त—धारियों, रैयतों या दखलकारों को अनावश्यक परेशानी होती है ;

चूँकि, रैयतों या आवंटियों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आवंटित लोक भूमि से सम्बन्धित विवाद अनावश्यक रूप से व्यवहार न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय का अधिकांश कार्य क्षेत्र आच्छादित कर रहे हैं और जिनका अन्यथा निराकरण राजस्व प्राधिकारियों, जो क्षेत्रीय कार्यालयों में लगातार पदस्थापन तथा राजस्व प्रशासन में अपनी विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि में, के द्वारा किया जाना चाहिए था।

चूँकि, वृहत्तर सार्वजनिक हित में यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे विवादों, जो तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से हल न होने की स्थिति में बड़े उथल—पुथल को जन्म देते हैं, के निराकरण के लिए प्रभावशाली तथा द्रुतगामी संयंत्र का प्रावधान किया जाए ;

और, चूँकि, विवादों की प्रकृति से सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण में ऐसा पाया गया है कि वे ज्यादातर स्वत्वाधिकार अभिलेखों से सम्बद्ध मामलों, जमाबन्दी के विभाजन, आवंटियों/रैयतों की जबरन बेदखली, सीमा—विवादों इत्यादि से सम्बन्धित है तथा इस प्रसंग में निम्नांकित अधिनियमों का प्रशासन समाविष्ट है :

(1) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,

(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885,

(3) बिहार प्रश्रय—प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947,

(4) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954,

(5) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961,

(6) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956,

और, चूँकि, उपर्युक्त अधिनियमों के तहत विवादों के निराकरण के लिए विभिन्न मंच तथा प्रक्रियाएं उपबन्धित की गयी हैं तथा यह आवश्यक महसूस किया जा रहा है कि एक एकरूप तथा सामान्य मंच, प्रक्रिया एवं संयंत्र का प्रावधान किया जाए जो विवादों के प्रभावशाली एवं द्रुत निराकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा ;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम सरकार के द्वारा बिहार राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ ।—इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः (क) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है उप—समाहर्त्ता, भूमि सुधार या अन्य कोई पदाधिकारी, जिसे अनुमंडल में उप—समाहर्त्ता, भूमि सुधार के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के निर्वहण का दायित्व दिया गया हो, सक्षम प्राधिकार होगा।

(ख) ''समाहर्त्ता'' से अभिप्रेत है सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता।

(ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है सम्बन्धित प्रमंडल के आयुक्त।

(घ) "भूमि" से अभिप्रेत है सरकारी भूमि, रैयती भूमि, उस पर निर्मित संरचना यदि कोई हो।

(ङ) ''आवंटित भूमि'' या ''बन्दोबस्त भूमि'' से अभिप्रेत ऐसी भूमि से है जो आवंटित या बन्दोबस्त की जाती है या जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची—1 में वर्णित अधिनियमों के तहत रैयती अधिकार समाहित हो गए हों।

(च) "आवंटी या बंदोबस्ती—धारी" से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा भूमि की बन्दोबस्ती की गयी है अथवा ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम की अनुसूची—I में शामिल किसी अधिनियम में भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त कर लिया है।

(छ) ''रैयत'' से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधान के तहत परिभाषित रैयत।

(ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(झ) इस अधिनियम में अपरिभाषित "शब्द या अभिव्यक्तियों" का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की अनुसूची—1 में शामिल सम्बन्धित अधिनियमों में इन्हें दिया जाएगा।

3. इस अधिनियम के विहित प्रक्रिया का अध्यारोही—प्रभाव होना।—निम्नलिखित अधिनियमों, यथा—

(i) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,

(ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885,

(iii) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947,

(iv) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954,

(v) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961,

(vi) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956,

में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम में इसके अनन्तर विहित प्रक्रिया उपर्युक्त अधिनियमों के तहत उठनेवाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी, चूँकि, इस अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया है।

4. विवाद निराकरण हेतु क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार ।–(1) सक्षम प्राधिकार को किसी आवेदन या शिकायत पर अथवा किसी विहित प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा संदर्भित आवेदन पर अधोलिखित प्रकार के विवादों से उद्भूत किसी मुद्दे की सुनवाई तथा न्याय निर्णय करने का क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होगा :–

(क) इस अधिनियम की अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बन्दोबस्ती के दस्तावेज या पर्चा निर्गत के द्वारा बन्दोबस्त या आवंटित किसी भूमि या उसके अंश से किसी बन्दोबस्ती धारी या आवंटी की अनधिकृत तथा गैर–कानूनी बेदखली ;

(ख) अनधिकृत तथा गैर–कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरान्त विधितः सुयोग्य बन्दोबस्ती– धारी या आवंटी के पक्ष में बंदोबस्त/आवंटित भूमि का दखल पुनः स्थापित करना ;

(ग) किसी विधितः सुयोग्य बन्दोबस्तीधारी/आवंटी की आशंकित बेदखली ;

(घ) रैयती भूमि से सम्बन्धित उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित मामलों में कोई;

(ङ) भू–खण्ड का विभाजन ;

(च) मानचित्र/सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि में संशोधन;

(छ) किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन;

(ज) सीमा–विवाद;

(झ) अनधिकृत संरचना निर्माण; तथा

(ञ) सक्षम प्राधिकार में न्यायिक विचाराधीनता के दौरान अन्तरण।

(2) सक्षम प्राधिकार को अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत अन्तिम रूप से समाप्त एवं न्यायनिर्णीत कार्यवाही के पुनर्विलोकन या फिर से प्रारम्भ करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार, अपने सामने लाए गए विवादों के निराकरण के लिए इस अधिनियम की अनुसूची–1 में शामिल अधिनियमों में अन्तिम आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारों द्वारा पारित आदेश के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकार को आवंटी/बन्दोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्हीं नए अधिकारों, जो अबतक निर्धारित नहीं हुए है तथा जिन्हें अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है, का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा।

परन्तु जहाँ आवंटी, बन्दोबस्तीधारी या रैयत के अधिकार अनुसूची–1 में शामिल अधिनियमों में किसी में पूर्व से निर्धारित हैं, सक्षम प्राधिकार को उप–धारा (1) में उल्लिखित मामलों से सम्बन्धित वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार होगा।

(4) यथा उपर्युक्त उप–धारा (2) तथा (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि अनुसूची–1 में शामिल अधिनियमों में से किसी में आवंटी/बन्दोबस्ती–धारी या रैयत के अधिकारों के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा दावा किये गये अधिकार को अब भी निर्धारित किया जाना है, सक्षम प्राधिकार ऐसे अधिकार को अन्तिम रूप से निर्धारित कर देगा।

(5) जहां कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वत्त्व न्याय–निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बन्द कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतन्त्र होंगे।

5. सक्षम प्राधिकार में व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होना।–निम्नांकित मामलों में जांच कराने में सक्षम प्राधिकार को वही शक्तियां होगीं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) के तहत किसी न्यायालय में विहित हैं :–

(क) शपथ–पत्रों के द्वारा साक्ष्य की प्रविष्टि;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सम्मन निर्गत करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ग) दस्तावेजों का उपस्थापन बाध्यकारी बनाना;

(घ) व्यय का आदेश पारित करना ;

(ङ) किसी प्रतिवेदन की मांग करना और स्थानीय जांच का आदेश देना; तथा

(च) स्थानीय जांच के लिए कमीशन निर्गत करना या साक्षियों के परीक्षण का आदेश देना।

6. कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना ।–तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, सिविल प्रकृति के सभी मामलों में, जिसमें कोई भूमि या उसका अंश सम्बन्धित हो, और जिसमें वाद का एक पक्षकार अधिनियम की धारा–2 के तहत एक आवंटी या बन्दोबस्ती–धारी हो, राज्य एक अनिवार्य पक्ष होगा।

7. कार्यवाही का संक्षिप्त निपटारा ।–इस अधिनियम के तहत सारी कार्यवाहियां अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप सरसरी तौर पर निष्पादित की जाएंगी।

8. अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।–(1) इस अधिनियम या इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में सदिच्छा पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभीप्सित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही संधारित नहीं की जाएगी ।

(2) अधिनियम के किसी प्रावधान के कारण हुए नुकसान, या सम्भावित नुकसान या हो चुकी या सम्भावित किसी क्षति अथवा इस अधिनियम या इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में सदिच्छापूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभीप्सित किसी कार्य के लिए राज्य के विरूद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही संधारित नहीं की जाएगी।

9. विवादों का त्वरित निराकरण ।– (1) सक्षम प्राधिकार विवादों के त्वरित निराकरण के लिए हर संभव कदम उठाएगा और अपने समक्ष वाद दायर होने की तिथि से अधिकतम तीन माहों के अन्दर उसका अन्तिम न्याय–निर्णय सुनिश्चित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकार पक्षकारों को बिना समुचित कारण बताए स्थगन की अनुमति नहीं देगा।

(3) बिना समुचित कारण के विनिर्दिष्ट अवधि में निष्पादन की विफलता में उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

10. इस अधिनियम के अधीन दायर वादों का संज्ञान ।–(1) अनुसूची–2 में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दायर किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) अनुसूची–2 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही तथा जिसमें उठाए गए मुद्दे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के मुद्दों के समान हों, उपशमित हो जाएगी।

11. दण्डाधिकारी को सन्दर्भन।– सक्षम प्राधिकार के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान यदि वह सन्तुष्ट है कि किसी पक्षकार ने कोई आपराधिक कृत्य किया है या शान्ति भंग होने की संभावना हो, वह उसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निष्पादनार्थ सक्षम दण्डाधिकारी के न्यायालय को सन्दर्भित कर सकेगा।

12. सक्षम प्राधिकार के ऊपर अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए समाहर्त्ता की शक्ति।–

(1) सक्षम प्राधिकार प्रति तीन माह पर समाहर्त्ता को, नियम में विहित आवधिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा, जिसमें उसके द्वारा निराकरण किए गए विवादों की सूचनाएँ रहेंगी।

(2) समाहर्त्ता किसी सक्षम प्राधिकार से उसके समक्ष दायर वादों के अन्तिम न्याय निर्णय के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा।

(3) समाहर्त्ता सक्षम प्राधिकार के सम्बन्धित क्रियाकलापों की समीक्षा समय–समय पर करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा यदि समीक्षा से समाहर्त्ता सन्तुष्ट है कि वादों का बिना पर्याप्त कारण के त्वरित निष्पादन नहीं हो रहा है, तो वह आवश्यक कार्यार्थ तत्काल मामले की सूचना सरकार को देगा।

13. विवाद निराकरण की प्रक्रिया ।–(1) कोई व्यथित व्यक्ति सक्षम प्राधिकार, जिसके क्षेत्राधिकार में विवादित भूमि या संरचना अवस्थित है, के समक्ष आवेदन या शिकायत दर्ज कर सकेगा।

(2) आवेदन या शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार सम्बन्धित पक्षकारों को, नोटिस प्राप्ति की तिथि से उनका उत्तर या दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दायर करने के लिए एक पक्ष का समय देते हुए, नोटिस निर्गत करेगा।

(3) प्रतिवादी द्वारा उत्तर दायर होने के बाद, सक्षम प्राधिकार आवेदक या शिकायतकर्त्ता को, उसका प्रत्युत्तर, दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो तथा साक्षियों, यदि कोई हों, जिनका वह परीक्षण करना चाहता हो, की सूची दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय देगा।

(4) अभिवचन की समाप्ति होने के उपरान्त, सक्षम प्राधिकार पक्षकारों की सुनवाई करेगा और यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य या स्थानीय जांच आवश्यक न हो, तो पक्षकारों की अभिवचनों के आधार पर वाद का निष्पादन करेगा।

(5) यदि स्थानीय जांच की आवश्यकता हो, सक्षम प्राधिकार स्वयं जांच कर सकेगा अथवा किसी अन्य लोक सेवक या अधिवक्ता को स्थानीय जांच संचालित करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। सक्षम प्राधिकार स्थानीय जांच के लिए कमीशन भी निर्गत कर सकेगा।

(6) यदि सक्षम प्राधिकार साक्षियों के परीक्षण को आवश्यक समझता है तो वह विवाद के पक्षकारों को आवेदन या शिकायत के पक्ष में तथा उसके खंडन में, साक्षियों को प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। सक्षम प्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि विवाद के पक्षकारों के द्वारा साक्षी बिना किसी अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत किए जाएं तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि साक्षियों का परीक्षण दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाए।

(7) सक्षम प्राधिकार सुनवाई के समापन, स्थानीय जांच, यदि कोई हो, के अवलोकन तथा साक्षियों, यदि कोई हों, के परीक्षण के बाद अन्तिम रूप से पक्षकारों को सुनेगा तथा विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकार, जहां वह वादों का संज्ञान किसी विहित प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा संदर्भन करने पर लेता है, वहां भी उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकार आशंकित, अनधिकृत तथा गैर–कानूनी बेदखली अथवा विवादी भूमि पर निर्मित संरचना के अनधिकृत तथा गैर कानूनी तोड़े जाने की स्थिति में, अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित कर सकेगा।

(10) सक्षम प्राधिकार तर्कपूर्ण आदेश पारित कर वादों का निष्पादन करेगा।

(11) विस्तृत विवाद निराकरण प्रक्रिया सरकार के द्वारा उपयुक्त नियम निर्मित करके विहित की जाएगी।

14. आयुक्त के समक्ष अपील ।–(1) सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई पक्षकार आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि में, आयुक्त, जिसके क्षेत्राधिकार में आदेश पारित हुआ हो, के समक्ष अपील दायर कर सकेगा;

परन्तु आयुक्त, यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा तीस दिनों के अन्दर अपील दायर न कर पाने का समुचित आधार है तो, तीस दिनों की अवधि से ऊपर, पुनः तीस दिनों तक उसे विस्तारित करके अपील को प्राप्त तथा निष्पादित कर सकेगा।

(2) अपील प्राप्त होने पर, आयुक्त विवादी पक्षों को उपस्थिति तथा अपील का उत्तर, यदि कोई हो, समर्पित करने के लिए 15 दिनों का समय देते हुए नोटिस निर्गत करेगा।

(3) तदुपरान्त आयुक्त, अपील सुनने की कार्रवाई करेगा तथा जैसा वह विधि के अनुरूप समझे, सक्षम प्राधिकार के आदेश को स्वीकृत, संशोधित, अस्वीकृत या सम्पुष्ट करने का आदेश, पारित करेगा।

(4) आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा तथा किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष कोई और अपील या रिवीजन नहीं लाया जा सकेगा।

15. सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन।–अपील में पारित किसी आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकार अपने द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन कराएगा;

परन्तु यदि विहित अवधि के अन्तर्गत अपील दायर नही हुई हो तो वह कथित आदेश को या तो स्वयं क्रियान्वित करने की कार्रवाई करेगा, या किसी अन्य पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

16. विवादित भूमि पर खड़ी फसलों की कुर्की ।–(1) सक्षम प्राधिकार, यदि वह सन्तुष्ट हो, कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को न्याय के हित में जब्त किया जाना आवश्यक है, तो वह समुचित आदेश पारित करेगा और विवादित भूमि पर खड़ी फसल को जब्त कर लेगा।

(2) सक्षम प्राधिकार अपने समक्ष कार्यवाही की लम्बितावस्था में खड़ी फसल के विक्रय का आदेश दे सकेगा तथा विक्रय से प्राप्त राशि वाद निष्पादन पर्यन्त सरकारी खाते में रखी जाएगी और वाद में, अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन उसके द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पक्षकारों को विक्रय से प्राप्त राशि परिदत्त कर दी जाएगी।

17. नियम बनाने की सरकार की शक्ति ।–(1) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए नियम का प्रावधान कर सकेगी :–

(i) कार्यवाही के सरसरी निष्पादन की रीति;

(ii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति;

(iii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सुनवाई करने की रीति;

(iv) किसी धनराशि के सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति;

(v) स्थानीय जांच के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां;

(vi) अभिलेखों एंव पंजियों के संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन;

(vii) दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति;

(viii) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना आवश्यक हो या जिसे विहित किया जा सकता हो।

अनुसूची–1

1 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950

2 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885

3 बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947

4 बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954

5 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961

6 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

अनुसूची–2

क्रमांक	न्यायिक क्षेत्राधिकार का मूल न्यायालय	अपीलीय न्यायालय
1	2	3
1	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार	आयुक्त

8 जनवरी 2010

सं0 एल0जी0–1–20/2009/09 लेजः।–बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2010 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगाः–

[Bihar Act 4, 2010]

The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009

Preamble:- Whereas, in the State of Bihar, disputes relating to record of rights, boundaries, entries in revenue records, unlawful occupation of raiyati land and forcible dispossession of allottees and settlees of public land, generate problems and cause unnecessary harassment to bonafide allotees/settlees, raiyats or occupants;

WHEREAS, such disputes with respect to raiyati land or public land allotted in favour of different classes of allottees are unnecessarily occupying major space of Civil Courts and Hon'ble High Court and which should otherwise have been resolved by the Revenue Authorities, who may be better equipped to deal with such disputes having regard to their continued presence in the field offices and their expertise in Revenue Administration,

WHEREAS, in larger public interest it is deemed necessary to provide for effective and speedy mechanism to resolve such disputes which give rise to major turbulence if not addressed immediately and effectively;

AND, WHEREAS, it has been found in analysis of data relating to nature of disputes that they mostly appertain to matters connected with the record of rights, partition of jamabandi, forcible dispossession of allottees / raiyats, boundary disputes etc. and in this context, the administration of the following Acts is involved:

(1) The Bihar Land Reforms Act, 1950,
(2) The Bihar Tenancy Act, 1885,
(3) The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947,
(4) The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954,
(5) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961,
(6) The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956,

AND,Whereas, different forums and procedures have been provided for the resolution of disputes under the above referred Acts and it is considered expedient to provide a uniform and common forum, procedure and mechanism which would achieve the objective of effective, efficacious and speedy resolution of disputes.

Be it enacted by the Legislature of the State of the Bihar in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short Title, Extent and Commencement.*- (1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date as notified by the Government in the Bihar Gazette.

2. *Definitions.*- In this Act, unless the context otherwise requires:

(*a*) "Competent Authority" shall be Deputy Collector Land Reforms or any officer assigned to discharge the functions and duties of Deputy Collector Land Reforms in the Sub-division.

(*b*) "Collector" connotes the Collector of the concerning district.

(*c*) "Commissioner" connotes the Commissioner of the concerning Division.

(*d*) "Land" connotes Government land, raiyati land, with structure, if any.

(*e*) "Allotted Land or Settled Land" connotes the land which is allotted or settled or on which raiyati rights have accrued under any of the Acts mentioned in Schedule-1 to this Act.

(*f*) "Allottee or Settlee" connotes the person with whom land has been settled by the competent authority or the person who has acquired raiyati rights over the land, under any of the Acts contained in Schedule-1 to this Act.

(*g*) "Raiyat" connotes a raiyat as defined under the provision of the Bihar Tenancy Act, 1885.

(*h*) "Government" means Government of Bihar.

(*i*) "Words or expressions" not defined in this Act shall have the same meaning as assigned in the respective Acts contained in Schedule-1 to this Act.

3. Overriding effect of procedure prescribed under this Act.- Notwithstanding anything contained in the following Acts, namely,

(*i*) The Bihar Land Reforms Act, 1950

(*ii*) The Bihar Tenancy Act, 1885

(*iii*) The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947

(*iv*) The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954

(*v*) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961

(*vi*) The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956

the procedure prescribed hereinafter, in this Act, shall be applicable for resolution of any dispute arising out of or under any of the aforesaid Acts to the extent this Act has covered such disputes and has provided forum, procedure and mechanism for their resolution.

4. *Jurisdiction and authority to resolve disputes.*-(1) The competent authority shall have jurisdiction and authority to hear and adjudicate, on an application or complaint or on any application referred to by a prescribed authority or officer, any issue arising out of following types of disputes:-

(*a*) Unauthorised and unlawful dispossession of any settlee or allottee from any land or part thereof, settled with or allotted to him under any Act contained in Schedule-1 to this Act by issuance of any settlement document/parcha by a competent authority;

(*b*) Restoration of possession of settled / allotted land in favour of legally entitled settlee/ allottee or his successors/heirs, upon adjudication of unauthorized and unlawful dispossession;

(*c*) Threatened dispossession of a legally entitled settlee/ allottee;

(*d*) Any of the matters enumerated in (a), (b) and (c) above appertaining to raiyati land.

(*e*) Partition of land holding;

(*f*) Correction of entry made in the record of rights including map/survey map.

(*g*) Declaration of the right of a person;

(*h*) Boundary disputes;

(*i*) Construction of unauthorized structure; and

(*j*) *Lis pendens* transfer .

(2) The competent authority shall not have jurisdiction to review or reopen any finally concluded and adjudicated proceeding under any of the Acts contained in Schedule-1. The competent authority shall exercise his authority for resolving the dispute brought before him on the basis of any final order passed by any of the authorities empowered to do so in the Acts contained in Schedule-1 of this Act.

(3) The competent authority shall not have jurisdiction to adjudicate any fresh rights of allottee / settlee or a raiyat which is not yet determined and is required to be determined in accordance with provisions contained in any of the Acts contained in Schedule-1:

Provided that where rights of allottee / settlee or raiyat are already determined under any of the Acts contained in Schedule-1, the competent authority shall have jurisdiction to entertain cases appertaining to matters enumerated in sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3) hereinabove, if no provision is made in any of the Acts contained in Schedule-1 for determination of rights of allottee / settlee or raiyat and claimed right is yet to be determined, it shall be open to the competent authority to finally determine such right.

(5) The competent authority, wherever it appears to him that the case instituted before him involves complex question of adjudication of title, he shall close the proceeding and leave it open to parties to seek remedies before the competent Civil Court.

5. *Competent authority to have powers of Civil Court*.- The competent authority shall have the same powers in making enquiries under this Act, as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in trying a suit, in respect of :

(a) admission of evidence by affidavits;

(b) to issue summons for ensuring the attendance of any person and examining him on oath;

(c) compelling the production of documents;

(d) award of cost;

(e) to call for any report or order for local enquiry; and

(f) to issue commission for local enquiry or order examination of witnesses.

6. *State to be a necessary party in certain cases*.- Notwithstanding anything contained in any provision in any law for the time being in force, in all cases of civil nature, concerning a land or a portion thereof, and in which one of the parties to the case is an allottee or settlee under Section-2 of the Act, the State shall be a necessary party.

7. *Summary disposal of proceeding* .- All proceedings under the Act shall be disposed off summarily in accordance with the provisions of the Act and Rules framed under the Act.

8. *Protection of action taken under the Act*.- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintained against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall be maintained against the State for any damage caused, or likely to be caused, or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provision of the Act or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

9. *Expeditious Resolution of Disputes*.- (1) The competent authority shall take all possible steps for expeditious resolution of disputes and shall ensure final adjudication within a maximum period of three months from the date of the institution of the case before him.

(2) The competent authority shall not allow adjournment to the parties without sufficient cause.

(3) Failure to dispose off within stipulated period without sufficient cause may call for disciplinary action against him.

10. *Cognizance of cases filed under this Act*.-(1) No other Court except the Courts mentioned in Schedule-2 shall take cognizance of a case filed under this Act.

(2) Any proceeding lying in a court other than the ones mentioned in Schedule-1 of the Act in which the issues raised are the same as the issues in a case under this Act, shall abate.

11. Reference to Magistrate.- In course of proceeding before the competent authority if he is satisfied that any of the parties has committed a criminal act or there is likely to be breach of peace, he may refer it to the court of competent Magistrate for proceeding in accordance with provisions contained in the Criminal Procedure Code.

12. Power of Collector to exercise superintendence, supervision and control over the competent authority.- (1) The competent authority shall submit periodical report, as prescribed in the rules, every three months to the Collector furnishing informations therein regarding disputes resolved by him.

(2) The Collector may call for a report from a competent authority from time to time relating to final adjudication of cases instituted before him.

(3) It shall be open to the Collector to review the related functioning of the competent authority from time to time and if on review the Collector is satisfied that cases are not being disposed off expeditiously without sufficient cause he shall immediately report the matter to the Government for necessary action.

13. Procedure for resolution of disputes.- (1) Any aggrieved person may file an application or complaint before the competent authority within whose jurisdiction the disputed land or structure is situated.

(2) On receipt of the application or complaint, the competent authority shall proceed to issue notice to the parties concerned allowing them a fortnight's time from receipt of the notice to file their response and documentary evidence, if any.

(3) After the response is filed by the opposite party, the competent authority may allow one week's time to the applicant or the complainant to file his rejoinder, documentary evidence, if any, and a list of witnesses, if any, to be examined by him.

(4) After completion of the pleading, the competent authority shall hear the parties and dispose off the case on the basis of pleading of the parties if no further evidence or local enquiry is needed.

(5) If local enquiry is required, the competent authority may himself hold the enquiry or authorise any other public servant or Advocate to conduct the local enquiry and submit the report. The competent authority may also issue commission for local enquiry.

(6) If the competent authority considers it necessary to examine witnesses then he shall afford opportunity to the parties to dispute to produce witnesses in support of the

application or complaint and in rebuttal thereof. The competent authority shall ensure that witnesses are produced by the parties to the dispute without undue delay and shall also ensure that the examination of witnesses is conducted on day to day basis.

(7) The competent authority, on conclusion of the hearing, perusal of report of local inquiry if any, and on examination of witnesses if any, shall finally hear the parties and pass appropriate order in accordance with law.

(8) The competent authority shall follow the above procedure where he takes cognizance of cases on reference made by a prescribed authority or officer.

(9) The competent authority may pass an interim order of injunction in case of threatened, unauthorised and unlawful dispossession or unauthorized and unlawful demolition of structure constructed over the land in dispute.

(10) The competent authority shall dispose off cases by passing a reasoned order.

(11) Detailed dispute resolution procedure shall be prescribed by the Government by making suitable rules.

14. *Appeal before the Commissioner*.—(1) Any party aggrieved by the order passed by the competent authority may file an appeal before the Commissioner within whose jurisdiction the order has been passed, within a period of thirty days from the date of the order.

Provided that the Commissioner may receive and dispose off the appeal beyond the period of thirty days by extending it by another thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within thirty days.

(2) On receipt of appeal, the Commissioner shall immediately cause notice to be issued to the contesting parties allowing 15 days time for appearance and submit reply to the appeal, if any.

(3) The Commissioner shall thereafter proceed to hear the appeal and may pass such order allowing, modifying, reversing or affirming the order passed by the competent authority as he may deem fit in accordance with law.

(4) The order passed by the Commissioner shall be final and no further appeal or revision shall lie before any other authority.

15. *Execution of the order passed by the competent authority.*- The competent authority shall execute the order passed by him subject to order, if any, passed in appeal.

Provided that if no appeal is filed within the prescribed period he shall proceed to execute the said order either himself or authorise any other officer or employee to execute the same.

16. *Attachment of standing crop over the disputed land.*- (1) The competent authority may, if he is satisfied, that standing crop over the disputed land is required to be attached in the interest of justice, he may pass appropriate order and attach the standing crop over the disputed land.

(2) The competent authority may order the sale of standing crop during the pendency of a proceeding before him and the sale proceeds shall be kept in Government account until disposal of the case and subsequently, the sale proceeds shall be delivered to the parties in terms of order passed by him, subject to order, if any, passed in appeal.

17. *Power of the Government to make rules.*- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) the manner in which summary disposal of proceeding;

(ii) the manner in which reports and returns are to be submitted by the competent authority;

(iii) the manner in which applications shall be heard by the competent authority;
(iv) the manner in which any amount shall be deposited in the Government account;
(v) the powers of the Commission appointed for local enquiry;
(vi) the maintenance of records and registers and display of notices;
(vii) the manner in which application or complaint shall be filed;
(viii) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Schedule-1

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950
2. The Bihar Tenancy Act, 1885
3. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947
4. The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954
5. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961
6. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956

Schedule-2

S. No.	Court of Original Jurisdiction	Court of Appeal
1	2	3
1	Deputy Collector Land Reforms	Commissioner

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 32-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in